रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2081] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 17, 2012/आश्विन 25, 1934

No. 2081] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 17, 2012/ASVINA 25, 1934

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 2012

का.आ. 2512(अ).—जबकि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) (इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के रूप में उल्लिखित) की धारा 23 की उपधारा (1) के अनुसरण में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (इसमें इसके पश्चात परिषद के नाम से उल्लिखित) ने 25 अगस्त, 2010 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III खंड 4 में प्रकाशित अधिसूचना सं. एफ.सं. 61-03/20/2010/एनसीटीई/(एनएंडएस) दिनांक 23.08.2010 में उक्त अधिनियम की धारा 2 में खंड (ढ) में उल्लिखित स्कूल में कक्षा I से VIII के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं निर्धारित की हैं;

और जबकि समय-समय पर यथासंशोधित उक्त अधिसूचना के पैरा 3 की धारा (i) की उपधारा (क) में यह प्रावधान है कि न्यूनतम पचास प्रतिशत अंक तथा शिक्षा स्नातक (बी.एड.) अर्हता अथवा न्यूनतम पैतालीस प्रतिशत अंक तथा एक वर्षीय शिक्षा स्नातक जो कि समय समय पर यथा संशोधित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) (मान्यता मानदंड तथा प्रकिया) विनियम के अनुसार हो, वाला व्यक्ति 1 जनवरी, 2012 तक कक्षा I से V में नियुक्ति के लिए भी पात्र होगा बशर्ते कि नियुक्ति के पश्चात वह प्रारंभिक शिक्षा में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त छह मास का विशेष कार्यकम पूरा कर ले।

और जबकि अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 2 में प्रावधान है कि जहां किसी राज्य में अध्यापक शिक्षा के पाठ्यकम या प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाएं पर्याप्त नहीं हैं या अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम योग्यता वाले अध्यापक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं तो केन्द्र सरकार, यदि आवश्यक समझे तो अधिसूचना द्वारा अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु अपेक्षित न्यूनतम योग्यताओं में अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए छूट दे सकती है, जो पांच वर्ष से अधिक नहीं हो सकती;

और जबकि उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2012 के अपने पत्र द्वारा उक्त अधिनियम के खंड 23 के उप खंड (1) के अंतर्गत परिषद द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति हेतु रखी गई न्यूनतम अर्हताओं की आवश्यकता में समय-समय पर यथासंशोधित उक्त अधिसूचना के पैरा 3 की धारा (i) की उपधारा (क) में उल्लेखित व्यक्तियों को उक्त उपधारा में निहित शर्तो को पूरा करने के अधीन दिनांक 1 जनवरी, 2012 के बाद कक्षा I से V हेतु अध्यापक के रूप में

नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्तियों को अनुमति प्रदान करते हुए छूट के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया;

और जबकि केन्द्र सरकार उत्तराखंड की राज्य सरकार के इस प्रस्ताव से संतुष्ट होते हुए कि उक्त अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) के तहत निधारित न्यूनतम अर्हता वाले अध्यापक नहीं हैं और यह आवश्यक समझे कि उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आवश्यक योग्यताओं में उक्त अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (2) के तहत छूट प्रदान की जाएगी;

अतः उक्त अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) के अंतर्गत परिषद द्वारा कक्षा I-V से संबंधित अधिसूचित न्यूनतम अध्यापक योग्यता मानदंडों के संबंध में समय-समय पर यथासंशोधित उक्त अधिसूचना के पैरा 3 की धारा (i) की उपधारा (क) में उल्लेखित व्यक्तियों को उक्त उपधारा में निहित शर्तो को पूरा करने के अधीन दिनांक 1 जनवरी, 2012 के बाद कक्षा I से V हेतु अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्तियों को अनुमति प्रदान करते हुए छूट प्रदान करती है।

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत दी गई छूट निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हुए 31 मार्च, 2014 तक के लिए मान्य होगी:

(i) परिषद की उपर्युक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसार उत्तराखंड सरकार परिषद द्वारा दिनांक 11 फरवरी,2011 को समय-समय पर यथासंशोधित जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी तथा कक्षा I-VIII में अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु केवल उन्हीं व्यक्तियों पर विचार किया जा सकता है जिन्होंने अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है।

(ii) राज्य सरकार और अन्य स्कूल प्रबंधन भर्ती नियमावली में संशोधन करेंगे ताकि समय-समय पर संशोधित उक्त अधिसूचना तथा परिषद की संशोधित अधिसूचना द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति हेतु अपेक्षित निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं का प्रावधान किया जा सके;

(iii) नियुक्ति के मामले में राज्य सरकार उन पात्र अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देगी जो उक्त अधिसूचना, समय-समय पर यथासंशोधित, में विनिर्दिष्ट न्यूनतम योग्यता रखते हैं तथा उसके पश्चात उन पात्र अभ्यर्थियों पर विचार करेंगे जो इस अधिसूचना के पैरा 3 की धारा (i) की उपधारा (क) में उल्लिखित योग्यता रखते हैं;

(iv) अध्यापकों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन का राज्य से बाहर सहित व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए।

(v) राज्य सरकार और अन्य स्कूल प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगें कि परिषद की समय-समय पर संशोधित उक्त अधिसूचना के पैरा 3 की धारा (i) की उपधारा (क) में उल्लिखित नियुक्ति के पश्चात प्रारंभिक शिक्षा में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त छः माह का विशेष कार्यक्रम पूरा हो।

(vi) इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट छूट एक बार के लिए होगी तथा उत्तराखंड राज्य को धारा 23 की उपधारा (2) के अंतर्गत आगे कोई छूट नहीं दी जाएगी।

(vii) विशिष्ट अर्हताओं वाले व्यक्तियों को तैयार करने के लिए राज्य सरकार को संस्थागत क्षमता में वृद्धि करने के लिए कदम उठाने होंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 31 मार्च, 2014 के पश्चात कक्षा I-VIII में केवल अर्हता प्राप्त व्यक्तियों को ही शिक्षकों के रूप में नियुक्त किया जाए।

3. परिषद के दिनांक 11 फरवरी, 2011 के पत्र द्वारा उक्त अधिनियम के अंतर्गत जारी अध्यापक पात्रता परीक्षा दिशा-निर्देशों के पैराग्राफ 5 के उप पैराग्राफ (iii) के अनुसार समय-समय पर यथासंशोधित उक्त अधिसूचना के पैरा 3 की धारा (i) की उपधारा (क) में उल्लिखित व्यक्ति 31 मार्च, 2014 तक राज्य में की जाने वाली अध्यापक की नियुक्ति के संबंध में राज्य सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा में बैठने के लिए भी पात्र होंगे।

[फा. सं. 1-17/2010-ई.ई. 4]

वृंदा सरुप, अपर सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of School Education and Literacy)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th October, 2012

S.O. 2512(E).—WHEREAS the National Council for Teacher Education (hereinafter referred to as the Council), in pursuance of sub-section (1) of section 23 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009), (hereinafter referred to as the said Act), has, vide its notification number F.No.61/03/20/2010/NCTE/(N&S), dated the 23rd August, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 25th August, 2010, (hereinafter referred to as the said notification), laid down the minimum qualifications for a person to be eligible for appointment as a teacher for classes I to VIII in a school referred to in clause (n) of section 2 of the said Act.

AND WHEREAS sub-clause (a) of clause (i) of paragraph 3 of the said notification as amended from time to time, provides that a person with graduation with atleast fifty per cent marks and Bachelor of Education (B.Ed) qualification or with at least forty-five per cent marks and one year Bachelor in Education in accordance with the National Council for Teacher Education (NCTE) (Recognition Norms and Procedure) Regulations, referred to in the said Notification as amended from time to time, shall also be eligible for appointment to Class I to V up to 1st January, 2012, provided he/she undergoes, after appointment, a National Council for Teacher Education (NCTE) recognised six month Special Programme in Elementary Education.

AND WHEREAS sub-section (2) of section 23 of the said Act provides that where a State does not have adequate institutions offering courses or training in teacher education, or teachers possessing minimum qualifications as laid down under sub-section (1) of section 23 of the said Act are not available in sufficient numbers, the Central Government may, if it deems necessary, by notification, relax the minimum qualifications required for appointment as a teacher for such period, not exceeding five years, as may be specified in that notification;

AND WHEREAS the State Government of Uttarakhand vide its letter dated the 3rd August, 2012 submitted a proposal to the Central Government for relaxation of the requirement of minimum qualifications for appointment of teachers laid down by the Council under sub-section (1) of section 23 of the said Act, by allowing persons referred to in sub-clause (a) of clause (i) of paragraph 3 of the said notification, as amended from time to time, eligible for appointment as a teacher for classes I to V beyond 1st January, 2012, subject to the fulfilment of conditions laid down in the said sub-clause.

AND WHEREAS the Central Government on being satisfied with the proposal of the State Government of Uttarakhand that the teachers possessing minimum qualification as laid down under sub-section (1) of section 23 of the said Act are not available in that State in sufficient numbers, and it deems necessary that the requirement of minimum qualifications for appointment as teachers in respect of State of Uttarakhand be relaxed under sub-section (2) of section 23 of the said Act;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 23 of the said Act, the Central Government hereby relaxes in respect of the State of Uttarakhand, the minimum qualifications laid down by the Council under sub-section (1) of section 23 of the said Act in so far as they relate to classes I to V, and allows persons referred to in sub-clause (a) of clause (i) of paragraph 3 of the said notification as amended from time to time, eligible for appointment as teacher for classes I to V beyond the 1st January, 2012, subject to fulfilment of the conditions specified under the said sub-clause.

2. The relaxation granted under this notification shall be valid for a period upto the 31st March, 2014, subject to fulfilment of following conditions, namely:-

(i) the State Government shall conduct the Teacher Eligibility Test as specified in the said notification as amended from time to time, in accordance with the Guidelines for conducting Teacher Eligibility Test, under the said Act, issued by the Council vide its letter dated the 11th February, 2011 and those persons who pass the Teacher Eligibility Test be considered for appointment as teacher in classes I to VIII;

(ii) the State Government and other school managements shall amend the recruitment rules relating to appointment of teachers so as to provide for the minimum qualifications required for appointment of teachers, laid down under the said notification as amended from time to time;

(iii) the State Government shall in the matter of appointment of teachers give priority to those eligible candidates who possess the minimum qualifications specified in the said notification as amended from time to time and thereafter consider other candidates eligible with the qualifications referred to in sub-clause (a) of clause (i) of paragraph 3 thereof;

(iv) advertisement for appointment of teachers shall be given wide publicity, including outside the State;

(v) the State Government and other school managements shall ensure that teachers employed or engaged by them who possess the minimum qualifications referred to in sub-clause (a) of clause (i) of paragraph 3 of the said notification as amended from time to time, under go, after appointment, a National Council for Teacher Education (NCTE) recognised six month Special Programme in Elementary Education;

(vi) the relaxation specified in this notification shall be one-time and no further relaxation under sub-section (2) of section 23 of the said Act shall be granted to the State of Uttarakhand; and

(vii) the State Government shall take steps to increase the institutional capacity for preparing persons with specified qualifications so as to ensure that only persons possessing qualifications laid down under the said notification are appointed as teachers for classes I to V after the 31st March, 2014.

3. The persons referred to in sub-clause (a) of clause (i) of paragraph 3 of the said notification as amended from time to time, shall also be eligible for appearing in the Teacher Eligibility Test conducted by the State Government in respect of teacher appointments made in the State up to 31st March, 2014, in accordance with sub-paragraph (iii) of paragraph 5 of the guidelines for conducting Teacher Eligibility Test under the said Act issued by the Council vide its letter dated the 11th February, 2011.

[F. No. 1-17/2010-EE. 4]

VRINDA SARUP, Addl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 2012

का.आ. 2513(अ).—जबकि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) (इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के रूप में उल्लिखित) की धारा 23 की उपधारा (1) के अनुसरण में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (इसमें इसके पश्चात परिषद के नाम से उल्लिखित) ने 25 अगस्त, 2010 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III खंड 4 में प्रकाशित अधिसूचना सं. एफ.सं. 61-03/20/2010/एनसीटीई/(एनएंडएस) दिनांक 23.08.2010 (दिनांक 2 अगस्त, 2011 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 61-1/2011-एनसीटीई (एनएंडएस) द्वारा यथासंशोधित) में उक्त अधिनियम की धारा 2 में खंड (ढ) में उल्लिखित स्कूल में कक्षा I से VIII के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं निर्धारित की हैं;

और जबकि अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 2 में प्रावधान है कि जहां किसी राज्य में अध्यापक शिक्षा के पाठ्यकम या प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाएं पर्याप्त नहीं हैं या अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम योग्यता वाले अध्यापक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है तो केन्द्र सरकार, यदि आवश्यक समझे तो अधिसूचना द्वारा अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु अपेक्षित न्यूनतम योग्यताओं में अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए छूट दे सकती है, जो पांच वर्ष से अधिक नहीं हो सकती;

और जबकि हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को दिनांक 21 जुलाई, 2012 के अपने पत्र द्वारा उक्त अधिनियम के खंड 23 के उप खंड (1) के अंतर्गत परिषद द्वारा कक्षा VI से VIII हेतु शिक्षकों के रूप में नियुक्ति हेतु भाषा अध्यापक (हिन्दी) तथा शास्त्री (संस्कृत) के संबंध में शिक्षा स्नातक (बी.एड.) की न्यूनतम अर्हता की आवश्यकता में छूट हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया;

और जबकि केन्द्र सरकार हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार के इस प्रस्ताव से संतुष्ट होते हुए कि उक्त अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) के तहत निधारित न्यूनतम अर्हता वाले अध्यापक नहीं हैं और यह आवश्यक समझे कि हिमाचल प्रदेश राज्य के संबंध में भाषा अध्यापकों (हिन्दी) तथा शास्त्री (संस्कृत) के रूप में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आवश्यक योग्यताओं में उक्त अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (2) के तहत छूट प्रदान की जाएगी;

अतः निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 23 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) के

अंतर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं के संबंध में दिनांक 23 अगस्त, 2010 की अधिसूचना सं. एफ.61-3/2010/एनसीटीई/(एनएंडएस) दिनांक 2 अगस्त, 2011 की अधिसूचना सं. 158 द्वारा यथासंशोधित, जहां तक वे कक्षा VI से VIII से संबंधित हैं, में कक्षा VI से VIII के लिए भाषा अध्यापक (हिन्दी) तथा शास्त्री (संस्कृत) की नियुक्ति हेतु एक वर्षीय शिक्षा स्नातक में छूट प्रदान करती है।

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत दी गई छूट निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हुए 31 मार्च, 2014 तक के लिए मान्य होगी:

(i) परिषद की उपर्युक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसार राज्य सरकार परिषद द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2011 को समय-समय पर यथासंशोधित जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी तथा कक्षा VI-VIII के लिए भाषा अध्यापक (हिन्दी) तथा शास्त्री (संस्कृत) के रूप में नियुक्ति हेतु केवल उन्हीं व्यक्तियों पर विचार किया जा सकता है जिन्होंने अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है।

(ii) राज्य सरकार और अन्य स्कूल प्रबंधन भर्ती नियमावली में संशोधन करेंगे ताकि समय-समय पर संशोधित उक्त अधिसूचना तथा परिषद की संशोधित अधिसूचना द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति हेतु अपेक्षित निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं का प्रावधान किया जा सके;

(iii) नियुक्ति के मामले में राज्य सरकार उन पात्र अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देगी जो उक्त अधिसूचना, समय-समय पर यथासंशोधित, में विनिर्दिष्ट न्यूनतम योग्यता रखते हैं तथा उसके पश्चात उन पात्र अभ्यर्थियों पर विचार करेंगे जो इस अधिसूचना के तहत छूट प्राप्त योग्यता सहित पात्र हैं;

(iv) राज्य सरकार तथा अन्य स्कूल प्रबंधन यह सुनिश्चित करेंगे कि छूट प्राप्त योग्यता मानदंडों के तहत नियुक्त अध्यापक नियुक्ति के वर्ष से दो वर्ष की अवधि के भीतर उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे;

(v) इस अधिसूचना में निर्दिष्ट छूट भाषा अध्यापक (हिन्दी) तथा शास्त्री (संस्कृत) के संबंध में एक बारगी होगी और उक्त अधिनियम के खंड 23 के उपखंड (2) के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य को आगे कोई छूट प्रदान नहीं की जाएगी।

3. संगत विषय में पचास प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक योग्यता वाले व्यक्ति भी परिषद के दिनांक 11 फरवरी, 2011 द्वारा जारी उक्त अधिनियम के तहत अध्यापक पात्रता परीक्षा के संचालन हेतु दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 5 के उप पैरा (iii) के अनुसार 31 मार्च, 2014 तक राज्य में की जाने वाली भाषा अध्यापक (हिन्दी) तथा शास्त्री (संस्कृत) की नियुक्ति के संबंध में राज्य सरकार द्वारा संचालित अध्यापक पात्रता परीक्षा में भाग लेने के पात्र होंगे

[फा. सं. 1-17/2010-ई.ई. 4]

वृंदा सरुप, अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th October, 2012

S.O. 2513(E).—WHEREAS the National Council for Teacher Education (hereinafter referred to as the Council), in pursuance of sub-section (1) of section 23 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009), (hereinafter referred to as the said Act), has, vide notification number F.No.61-03/20/2010/NCTE/(N&S), dated the 23rd August, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 25th August, 2010, as amended vide notification no. 61-1/2011-NCTE (N&S) published in the Gazette of India Extraordinary, Part-III, Section 4 dated 2nd August, 2011 laid down the minimum qualifications for a person to be eligible for appointment as a teacher for classes I to VIII in a school referred to in clause (n) of section 2 of the said Act.

AND WHEREAS sub-section (2) of section 23 of the said Act provides that where a State does not have adequate institutions offering courses or training in teacher education, or teachers possessing minimum qualifications as laid down under sub-section (1) of section 23 of the said Act are not available in sufficient numbers, the Central Government may, if it deems necessary, by notification, relax the minimum qualifications required for appointment as a teacher, for such period, not exceeding five years, as may be specified in that notification;

AND WHEREAS the State Government of Himachal Pradesh vide its letter dated the 21st July, 2012 submitted a proposal to the Central Government for relaxation of the requirement of minimum qualification of Bachelor in Education (B.Ed) in respect of Language Teachers (Hindi) and Shastri (Sanskrit) for appointment as teachers for class VI to class VIII as laid down by the Council under sub-section (1) of section 23 of the said Act;

AND WHEREAS the Central Government on being satisfied with the proposal of the State Government of Himachal Pradesh that the possessing minimum qualification as laid down under sub-section (1) of section 23 of the said Act in respect of Language Teachers (Hindi) and Shastri (Sanskrit) are not available in that State and it deems necessary that relaxation of the requirement of minimum qualifications for appointment of Language Teachers (Hindi) and Shastri (Sanskrit) as teachers in respect of State of Himachal Pradesh may be relaxed under sub-section (2) of section 23 of the said Act;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 23 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009), the Central Government hereby relaxes in respect of the State of Himachal Pradesh, the requirement of the minimum qualifications laid down by the National Council for Teacher Education under sub-section (1) of section 23 of the said Act vide notification number F. No. 61-03/2010/NCTE/(N&S), dated the 23rd August, 2010 (hereinafter referred to as the said notification), as amended by notification number 158, dated the 2nd August, 2011, in so far as they relate to classes VI to VIII, namely one-year Bachelor in Education for appointment of a Language teacher (Hindi) and Shastri for classes VI to VIII.

2. The relaxation granted under this notification shall be valid for a period upto the 31st March, 2014, subject to fulfilment of following conditions, namely:-

(i) the State Government shall conduct the Teacher Eligibility Test as specified in the said notification, as amended from time to time, of the Council in accordance with the Guidelines for conducting Teacher Eligibility Test under the said Act issued by the Council vide its letter dated the 11th February, 2011 and those persons who pass the Teacher Eligibility Test be considered for appointment as a Language teacher (Hindi) and Shastri (Sanskrit) for classes VI to VIII;

(ii) the State Government and other school managements shall amend the recruitment rules relating to appointment of teachers so as to provide for the minimum

qualifications required for appointment of teachers as laid down under the said notification as amended from time to time;

(iii) the State Government shall in the matter of appointment of teachers give priority to those eligible candidates who possess the minimum qualifications specified in the said notification, as amended from time to time, and thereafter, consider other candidates eligible with the relaxed qualifications under this notification;

(iv) the State Government and other school managements shall ensure that the teachers who are appointed under the relaxed qualification norms acquire the minimum qualification specified in the said notification within a period of two years from the year of appointment;

(v) the relaxation specified in this notification will be one-time in respect of the Language Teachers (Hindi) and Shastri (Sanskrit) and no further relaxation under sub-section (2) of section 23 of the said Act shall be granted to the State of Himachal Pradesh;

3. The persons possessing Graduation with fifty per cent marks in the relevant subject shall also be eligible for appearing in the Teacher Eligibility Test conducted by the State Government in respect of teacher appointments for Language Teachers (Hindi) and Shastri (Sanskrit) made in the State upto the 31st March, 2014, in accordance with sub-paragraph (iii) of paragraph 5 of the Guidelines for conducting Teacher Eligibility Test under the said Act, issued by the Council vide its letter dated the 11th February, 2011.

[F. No. 1-17/2010-EE. 4]

VRINDA SARUP, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.